संख्या-24/2015/2999/41-2014-67(यो0)/12

प्रेषक,

श्याम मोहन तिवारी
अनुसचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ दिनांक 16 फरवरी, 2015

विषय- राज्य सेक्टर के अन्तर्गत जनपद फैजाबाद स्थित अयोध्या के पर्यटन विकास/ सौन्दर्यीकरण की योजना हेतु अवशोष धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र सं0-1394/6-1-1/(395)/फैजाबाद /घोषणा/2013-14 दिनॉक 01.12.2014 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- वित्तीय वर्ष 2013-14 में शासनादेश सं0-3659/41-2013-67 यो0/12, दिनांक 26-02-2014 द्वारा राज्य सेक्टर के अन्तर्गत जनपद फैजाबाद स्थित अयोध्या के पर्यटन विकास की योजना के लिए कार्यदायी संस्था उद्यान एवं खादय प्रसंस्करण विभाग द्वारा गठित आगणन के परीक्षणोपरान्त राजकीय उद्यान राज घाट अयोध्या का सौन्दर्यीकरण हेतु रू0-60.03 लाख, राजकीय तुलसी उद्यान अयोध्या का सौन्दर्यीकरण हेतु रू0 29.76 लाख तथा कार्यदायी संस्था नगर पालिका परिषद, अयोध्या द्वारा गठित आगणन अयोध्या में विभिन्न स्थलों के पर्यटन विकास की योजना हेतु रू0 65.20 लाख अर्थात कुल रू0 154.99 लाख धनराशि की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में उक्त धनराशि का 50 प्रतिशत अर्थात रू0 77.50 लाख की धनराशि स्वीकृत कर अवमुक्त की गयी थी। इस सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में इस योजना के क्रियान्वयन हेतु अन्तिम किश्त के रूप में अवशेष धनराशि रू0 77.49 लाख (रू0 सतहत्तर लाख उन्चास हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा।
3. कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति की सूचना व उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

4. यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

5. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो।

(3)- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखा शीर्षक-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-08-पर्यटन स्थलों का विकास-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(4)- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक-22.07.2014 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन प्रशासकीय विभाग द्वारा निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(श्याम मोहन तिवारी)
अनुसचिव।

<u>संख्या-24/2015/2999(1)/41-2014 तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (सिविल) आडिट, उत्तर प्रदेश, सत्य निष्ठा भवन, 15-ए, दयानन्द मार्ग, इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4
6- क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, फैजाबाद परिक्षेत्र, फैजाबाद ।
7- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था।
8- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
9- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(श्याम मोहन तिवारी)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in